अध्याय V
निपटाए गए मामले

5.1 निपटाए गए मामले वे हैं जहाँ एसएएसएफ ने कर्जधारकों के साथ निपटारा कर लिया है अथवा कर्जधारकों की संरक्षित परिसम्पति न्यायालय/ एसएएसएफ/हस्तान्तरिती द्वारा निपटा दी गई है एवं एसएएसएफ ने अपनी प्राप्य राशि नकद/शेयर के माध्यम से वसूल कर ली है। शेयरो की ब्रिक्री अथवा वापस खरीद द्वारा राशि की वसूली को छोड़ कर इन मामलों में कोई और वसूली अपेक्षित नही है।

5.2 लेखा परीक्षा में जाँच किये गए 34 निपटाए गए मामलों में से, 13 मामलों में निर्धारित राशि एनएलओ से ₹ 163.63 करोड़ अधिक थी तथा 21 मामलों में निर्धारित राशि एनएलओ की ₹ 144.64 करोड़ की तुलना में ₹ 587.47 करोड़ कम थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

₹ करोड़ में

विवरण	मामलों की संख्या	एनएलओ	31मार्च 2013 तक वसूली गई राशि	शेयर इत्यादि के माध्यम से निपटान	कुल निपटान (4+5)	अधिक (+)/अतिरिक्त (-) वसूली (6-3)
1	2	3	4	5	6	7
एनएलओ से अधिक वसूली	13	246.37	409.40	0.60	410.00	(+) 163.63
एनएलओ से कम वसूली	21	1144.64	540.69	16.48	557.17	(-) 587.47
कुल	**34**	**1391.01**	**950.09**	**17.08**	**967.17**	**(-) 423.84**

कर्जधारकों से ओटीएस/एनएस के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर एनएलओ से कम पर निपटारे हेतु कारण, जैसा कि एसएएसएफ के अभिलेखों में प्रदर्शित है, थे (i) सम्बन्धित इकाई लम्बे समय से बन्द है एवं खरीददार मिलने में कठिनाई (ii) इकाई की वैधानिक देयताएँ (iii) इकाई बीआईएफआर के पास एक रूग्ण इकाई के रूप में पंजीकृत है (iv) इकाई का असंतोषजनक प्रदर्शन (v) परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब, (vi) लम्बित न्यायिक मामले, (vii) अधिकतर सुरक्षित ऋणदाता ऋणों के आबंटन के माध्यम से छोड़ गए थे, (viii) परिसम्पतियों की अपर्याप्तता, इत्यादि।

5.3 एनएलओ से कम पर निपटारा

वसूली नीति निर्धारित करती है कि कर्जधारकों की संरक्षित परिसम्पत्तियों का मूल्याँकन एसएएसएफ/अन्य संरक्षित ऋणदाता/न्यायालय द्वारा नियुक्त मूल्याँकक द्वारा किया जाना। नीति यह भी निर्धारित करती है कि वैधानिक देयताओं तथा कर्मचारियों को देय राशि की राशि के साथ के साथ उपलब्ध सामान (समनुपातिक

आधार पर) सहित प्रतिभूति का मूल्य निपटारे की राशि का आधार होगा। नया मूल्याँकन कराया जा सकता है यदि परिस्थितियों अनुसार न्यासंगत हो जैसे वर्तमान मूल्याँकन का पुराना हो जाना, परिसम्पत्ति मूल्य की अस्थिरता इत्यादि। जहाँ प्रतिभूतियों का मूल्य प्राप्त राशि वसूल करने के लिए पर्याप्त था, वहाँ प्रयास अधिकतम राशि वसूल करने के लिए था।

नीचे दी गई तालिका लेखापरीक्षा में जाँच किये गए 21 मामलों के संबंध में, कर्जधारक वार निपटारा राशि, संरक्षित सम्पतियों का मूल्य, इत्यादि का विवरण दर्शाती है:

₹ करोड़ में

क्रम सं.	परिशिष्ट के अनुसार क्रम संख्या	कर्णधारक का नाम	आयोजक का नाम	एनएलओ	कर्णधारक की परिसम्पतियों का मूल्य	एसएएसएफ का समनुपातिक हिस्सा	शेयरों सहित कुल वसूली	कम वसूली
1	2	मीडेस्ट इन्टीग्रेटिड स्टील्स लिमिटेड	मेस्को समूह के श्री जे.के. सिंह तथा श्रीमति रीता सिंह	462.24	नहीं किया गया	उपलब्ध नहीं	237.18	225.06
2	284	डेल्टा इनोवेटिव इन्टरप्राईजेस लिमिटेड	श्री आर.कोटान्दराममश्री पी. वैद्यनाथन, इन्टीग्रेटिट इन्टरप्राईजेस एण्ड डेल्टा ग्लोबल फाइनेन्स सर्विसेज	5.70	नहीं किया गया	उपलब्ध नहीं	3.11	2.59
3	305	पदमिनी टेक्नॉलाजी लि.	श्री विवेक नागपाल	5.18	नहीं किया गया	उपलब्ध नहीं	4.24	0.94
4	8	कृष्णा फिलामेन्ट्स लि.	श्री सत्यनारायण अग्रवाल एण्ड फॉर सन्स	86.85	34.64	उपलब्ध नहीं	21.26	65.59
5	10	आई जी पेट्रोकेमिकल्स	श्री एस. एस धानुका तथा श्री एम. एम. धानुका	71.03	199.90	उपलब्ध नहीं	31.50	39.53
6	14	श्री रामा मल्टीटेक लि.	श्री विक्रम पटेल तथा श्री शरद पटेल	61.05	104.31	उपलब्ध नहीं	25.36	35.69
7	35	ट्रांसफरेट कन्टेन्रस लि.	श्री निरंजन लाल डाल्मिया	30.23	17.46	उपलब्ध नहीं	20.53	9.70
8	45	कृष्णा विनाईल लि.	श्री सत्यनारायण अग्रवाल तथा चार पुत्र	26.54	15 to 20	उपलब्ध नहीं	16.81	9.73

9	46	भण्डारी एक्सपोर्ट लि.	श्री नरेश भण्डारी, भण्डारी हौजरी एक्सपोर्ट लि. पीएसआई डीसी के साथ संयुक्त क्षेत्र में	26.20	21.61	उपलब्ध नहीं	18.08	8.12
10	65	रामाकृष्णा मिल्स लि.	श्री आर. दौरा स्वामी तथा श्री डी. लक्ष्मी नारायण स्वामी	18.74	40.55	उपलब्ध नहीं	17.95	0.79
11	159	वोलेन्ट टैक्सटाईल्स लि.	श्री वी.ओ. सोमानी एवं उनके दो पुत्र, अर्थात रमेश एवं राजेश सोमानी	9.53	7.13	उपलब्ध नहीं	7.50	2.03
12	18	मोरपेंन लैवारेटरीज लि.	श्री सुशील सुरी	47.99	545.38	53.77	27.83	20.16
13	6	पशुपति स्पीनिंग एण्ड विविंग मिल्ज लि.	श्री रमेश कुमार जैन	149.74	88.02	81.99	54.55	95.19
14	21	गणेश बेन्जोप्लास्ट लि.	श्री रमेश पीलानी/गणेश समूह	44.84	81.68	25.45	37.76	7.08
15	34	स्लैक्सन फॉमकास्ट लि.	श्री किरन पी. दलाल एवं सहायक	30.47	7.97	5.15	6.43	24.04
16	39	गुजरात सिपरोमेट लि.	श्री नरेन्द्र पी. मेहता तथा श्री गुरूचरण सिंह	29.38	9.54	6.08	6.69	22.69
17	47	इन्दौर वायर कम्पनी लि.	श्री सुखवन्त सिंह एवं श्री गुरूचरण सिंह	26.04	29.61	11.80	12.10	13.94
18	312	बेन्की साल्यूशन प्रा. लि.	श्री अजीत खण्डेलवाल, श्री संजीव खण्डेवाल तथा श्री निर्मल वगारिया	5.07	3.21	3.21	3.66	1.41
19	396	वीनस साइबरटेक लि.	श्री जी. विनोद (विशाखा समूह)	3.83	4.29	2.75	2.25	1.58
20	477	फोकल विजन इन्टरनेशनल लि.	डॉ. मनोज मानिमर एवं डॉ. अजय पाण्डुरंगी	2.62	0.56	0.56	1.26	1.36

21	559	केसर पैट्रो प्राडक्ट्स लि.	श्री संजय बगरोदिया तथा महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल्ज लिमिटेड	1.37	7.64	1.02	1.12	0.25
जोड़				**1,144.64**			**557.17**	**587.47**

(नोट#: आयोजकों के नाम एसएएसएफ द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए हस्तातरण नोट्स से संकलित किये गए है।

महत्वपूर्ण कम वसूली (एनएलओ से कम) बड़े एनएलओ खातों पर हुई जैसे मीडेस्ट इन्टीग्रेटिड, कृष्णा फिलामेन्ट्स, पशुपति स्पीनिंग एवं विविंग मिल्स, आई. जी. पेट्रोकेमिकल्ज एवं श्री रामा मल्टीटेक लि.। इन फर्मो के कुछ आयोजकों की व्यक्तिगत प्रतिभूतियाँ न्यास के पास उपलब्ध थी। तथापि, न्यास ने निपटारा राशि तय करने से पहले आयोजको की शुद्ध सम्पति/आय का पता लगाने का प्रयास नही किया। आयोजको की वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखे बिना एनएलओ से कम में ऐसे निपटारे, वास्तव में आयोजको के हित में कहे जा सकते हैं।

5.4 21 मामलों में से, तीन मामलों में परिसम्पतियों का मूल्यांकन नही किया गया था तथा परिणामस्वरूप न्यास का भाग उपलब्ध नही था। चुँकि नीति निर्धारित करती है कि वैधानिक देयताओं तथा कर्मचारियों को देय राशि के साथ उपलब्ध सामान (समनुपातिक आधार पर) सहित प्रतिभूति का मूल्य निपटान राशि का आधार होगा, वसूली के लिए संभावना जानने हेतु मूल्यांकन कराना आवश्यक था।

(i) मीडेस्ट इन्टीग्रेटिड स्टील लिमिटेड (एनएलओ ₹ 462.24 करोड़, वसूली ₹ 237.18 करोड़)

न्यास ने बताया (मई 2013) कि दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, आईडीबीआई ने 2003 में मैसर्ज एम. एन. दास्तूर एण्ड कम्पनी को मूल्यांकन करने हेतु नियुक्त किया, जो आधिकारिक परिसमापक तथा कर्जधारक के सहयोग ना करने के कारण पुरा नही हो सका। इसके आगे बताया कि डीआरटी ने 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ₹ 144.56 करोड़ राशि के साधारण ब्याज सहित ₹ 319.57 करोड़ की निर्णीत राशि के भुगतान का अनुमोदन (जुलाई 2004) किया जिसका भुगतान दो वर्षों में किया जाना था। इसके प्रति, अनुमोदन के छह माह के अन्दर ₹ 220 करोड़ के ओटीएस के भुगतान का बीओटी द्वारा अनुमोदन (जून 2005) किया गया था जो 15 प्रतिशत के प्रस्तावित नकद प्रवाह के बट्टागत मूल्य पर आधारित था। इसे जल्द निपटान के रूप में किया गया था, जो इस तथ्य के कारण अधिक वरीयता वाला विकल्प था कि ₹ 647 करोड़ के अपने बड़े ऋण का शोधन करने की कर्जधारक की

क्षमता सदिग्ध थी, ऋणदाताओं ने आयोजको में अपना विश्वास खो दिया तथा उस रूप में कर्जधारकों की व्यवहार्यता संदिग्ध थी।

₹ 237.18 करोड़ में (₹ 220 करोड़ ओटीएस जमा ₹ 17.18 करोड़ करोड़ ब्याज) इस मामले को निपटान के परिणामस्वरूप एनएलओ को ₹ 462.24 करोड़ की तुलना में ₹ 225.06 करोड़ का नुकसान था।

(ii) डेल्टा इनोवेटिव इन्टरप्राइजेस लिमिटेड (एनएलओ ₹ 5.70 करोड़, वसूली ₹ 3.11 करोड़)

एसएएसएफ के अनुसार, परिसम्पतियों का मूल्यांकन नही किया जा सका क्योंकि निपटान निगमित प्रतिभु तथा व्यक्तिगत प्रतिभु के साथ किया गया था। डेल्टा इनोवेटिव इन्टर प्राइजेस लिमिटेड के दो प्रतिभुओं अर्थात इन्टीप्राइजेस लिमिटेड के दो प्रतिभुओं अर्थात इन्टीग्रेटिड इन्टरप्राईजेज प्राइवेट लिमिटेड तथा श्री पी. वैद्यनाथन ने ₹ 4.99 करोड़ (₹ 3.11 करोड़ एसएएसएफ द्वारा तथा ₹ 1.88 करोड़ आईडीबीआई द्वारा) वसूल किये। यद्यपि, डेल्टा इनोवेटिव इन्टरप्राइजेस लिमिटेड तथा आयोजकों में से एक अर्थात श्री आर. कोथानदरामन के विरूद्ध आईडीबीआई द्वारा दर्ज किया गया मुकदमा डीआरटी के पास लम्बित है। इस मामले में ₹ 5.70 करोड़ के एनएलओं के तुलना में ₹ 2.59 करोड़ की कम वसूली हुई है।

(iii) पदमिनी टेक्नालाजिज लिमिटेड (एनएलओ ₹ 5.18 करोड़, वसूली ₹ 4.24 करोड़)

एसएएसएफ के अनुसार, मूल्यांकन नही किया जा सका क्योंकि प्रमारित उपकरण पहले ही एक सह-ऋणदाता प्रादेशिया इन्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा बेच दिया गया था।

5.4 शेष 18 मामलों में से, आठ मामलों में कर्जधारकों की सम्पतियों में न्यास का समनुपातिक भाग न्यास के अभिलेखों में उपलब्ध नही था। इसके अपने समनुपालिक भाग तथा वसूली की संभावना जानने के लिए अन्य ऋणदाताओं से विवरण एकत्र नही किये थे। न्यास की तरफ से इस सीमा तक शिथलता थी।

इन मामलों को एनएलओ से कम में निपटाने के लिए कारणों का जैसा न्यास के अभिलेखों से एकत्र किये गए, नीचे विवरण दिया गया है:

(i) कृष्णा फिलामेन्ट्स लिमिटेड (एनएलओ ₹ 86.85 करोड़, वसूली ₹ 21.26 करोड़)

एसएएसएफ के अनुसार, एनएलओ से कम में निपटान के लिए औचित्य था (क) इकाई लम्बे समय से बन्द पड़ी थी, (ख) कम्पनी बीआईएफआर द्वारा रूग्वा इकाई

घोषित की गई थी, (ख) चुँकि सरफीजी के तहत कार्यवाही शुरु की जा सकती थी, परिसम्पतियों तथा बड़ी देयताओं की स्थिति को देखते हुए ईकाई के लिए क्रेता ढूढँना कठिन हो सकता था, (घ) कर्मधारक की बकाया वैधानिक देयताएँ ₹ 237 करोड़ थी तथा (ड़) ऋणदाता परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा एसएएसएफ के पास ऋण का 65 प्रतिशत से अधिक था, तो अधिकाँश व्यय एसएएसएफ द्वारा पूरा किया गया था।

(ii) आई. जी. पेट्रोकेमीकल्स लिमिटेड (एनएलओ ₹ 71.03 करोड, वसूली ₹ 31.50 करोड़)

न्यास ने ओटीएस प्रस्ताव स्वीकार किया क्योंकि कम्पनी की वित्तीय स्थिति कमजोर थी तथा इसका भविष्य संदिग्ध था। कर्जधारक की देय राशियों में ₹ 331.79 करोड़ के मूलक बकाया के साथ अन्य सात ऋणदाता शामिल थे।

(iii) श्री रामा मल्टीटेक लिमिटेड (एनएलओ ₹ 61.05 करोड़, वसूली ₹ 25.36 करोड़)

बीआईएफआर के पास कर्जधारक का संदर्भ लम्बित था। मूल्य के अनुसार 57 प्रतिशत सुरक्षित ऋणदाता कर्ज के आबंटन के माध्यम से बाहर हो चुके थे। निपाट निपटान की शर्तें अन्य खरीददारों को दिये गए प्रस्तावों के अनुरूप थी।

(iv) ट्रान्सफरेट कंन्टेर्स लिमिटेड (एनएलओ ₹ 30.23 करोड़, वसूली ₹ 20.53 करोड़)

प्रस्तावित ओटीएस सम्पति के वसूली योग्य मूल्य से अधिक था। कर्जधारक पर ₹ 12 करोड़ की वैधानिक देयताएँ भी थीं। मामला बीआईएफआर के पास था तथा सरफीजी अधिनियम के तहत वसूली ऋण मुद्दों के कारण कठिन थी।

(v) कृष्णा विनाईल लिमिटेड (एनएलओ ₹ 26.54 करोड़, वसूली ₹ 16.81 करोड़)

उद्योग शुद्ध माँग तथा आयातों से गंभीर प्रतिस्पर्था के कारण खराब स्थिति रहा था तथा चार वर्षों से हानियाँ उठा रहा था तथा समान इकाई ₹ 5.21 करोड़ में बेची गई थी।

(vi) भण्डारी निर्यात लिमिटेड (एनएलओ ₹ 26.20 करोड़, वसूली ₹ 18.08 करोड़)

₹ 6 करोड़ की कुल देय राशियों के साथ तीन और ऋणदाता थे।

(vii) रामाकृष्णा मिल्ज लिमिटेड (एनएलओ ₹ 18.74 करोड़, वसूली ₹ 17.95 करोड़)

कर्जधारक तीन वर्षों से हानि उठा रहा था तथा नकदी की कमी का सामना कर रहा था। कार्यशील पूँजी ऋण बकाया ₹ 40.49 करोड़ था। कर्जधारक ने वीआरएस निपटारे के लिए नीजि वित्त पोषक से ₹ 3.48 करोड़ की निधि उठाई थी।

(viii) वोलेन्ट टैक्सटाईल लिमिटेड (एनएलओ ₹ 9.53 करोड़, वसूली ₹ 7.50 करोड़)

कर्जधारक बीआईएफआर द्वारा ऋण घोषित किया गया था। ₹ 1.85 करोड़ राशि की बकाया वैधानिक देयताएँ थीं। एसएएसएफ एकमात्र सुरक्षित ऋणदाता था। सरफीजी अधिनियम के तहत बिक्री कठिन भी क्योंकि संयंत्र तथा मशीनरी दूसरे से प्राप्त की गई थी तथा एक उपयुक्त क्रेता मिलना मुश्किल था।

न्यास ने बताया (अगस्त 2013) कि इसनें यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यास को पूरी सूचना की कमी के कारण हानि ना हो, ओटीएस/एनएस ज्ञापनमें अन्य ऋण दाताओं के साथ निपटान के विवरणों को शामिल करना अनिवार्य किया है।

5.5 शेष दस मामलों में यद्यपि मूल्यांकन किया गया था एवं न्यास का समनुपालिक भाग उपलब्ध था, निपटान के परिणामस्वरूप नुकसान हुआ था। मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) मोरपेन लेवीरेट्रिज लिमिटेड (एनएलओ ₹ 74.99 करोड़, वसूली ₹ 27.83 करोड़)

एसएएसएफ ओटीएस रामपावरड ग्रुप द्वारा अनुमोदित (जून 2006) निगमित ऋण पुर्नसंरचना पैकेज के अनुरूप अनुमोदित किया गया था। ओटीएस का अनुमोदन करते समय रिकार्ड किया गया था कि भूतकाल में मारपेन लैबोरेट्रिज के संचालन मुख्यत: विशाल विस्तारणों के लिए किए गए निवेश तथा दिर्घावाधी प्रयोगों के लिए लघु अवधि निधियों के प्रयोग जिसके परिणामस्वरूप मेलपन तथा नकद संबंधी बाधाएं हुई, के कारण प्रभावित हुए थे ₹ 53.77 करोड़ के समनुपातिक भाग के प्रति न्यास ₹ 27.83 करोड़ कि हानि हुई। समनुपातिक भाग से कम में निपटान हेतु कारणों को रिकार्ड नही किया गया था।

(ii) पशुपति स्पीनींग एण्ड विवींग मिल्ज लिमिटेड (एनएलओ ₹ 149.74 करोड़, वसूली ₹ 54.55 करोड़)

₹ 81.99 करोड़ के (नवम्बर 2009 की मूल्यांकन रिपोर्ट) के एसएएसएफ के समनुपातिक भाग (प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य में) के प्रति निपटान ₹ 54.55 करोड़ के लिए था जिसके परिणामस्वरूप समनुपातिक भाग के संदर्भ में ₹ 27.44 करोड़ की कम वसूली हुई। कुल हानि ₹ 95.19 करोड़ थी। समनुपातिक भाग से कम में निपटान के लिए कारणों को न्यास द्वारा रिकार्ड नही किया गया था। न्यायिक कार्यवाही प्रारंभ नही कि जा सकती क्योंकि मामला बीआईएफआर के समक्ष लंबित था।

(iii) गणेश वेन्जोप्लास्ट लिमिटेड (एनएलओ ₹ 44.84 करोड़, वसूली ₹ 37.76 करोड़)

पार्टी बीआईएफआर के तहत थी तथा कम्पनियों जैसे औएनजीसी तथा जेएनपीटी से उस ₹ 350 करोड़ के दावों का सामना कर रही थी तथा ₹ 5 करोड़ की वैधानिक देयताएँ थीं।

(iv) एलैक्सन फॉमकास्ट लिमिटेड (एनएलओ ₹ 30.47 करोड़, वसूली ₹ 6.43 करोड़)

ऋण वापस ले लिए गए थे, प्रतिभूतियाँ प्रारंभ की गई थीं तथा डीआरटी, मुम्बई में आईडीबीआई द्वारा सितम्बर 2000 में मुकदमा दर्ज किया था। एसेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (एआरसीआईएल) एएफएल में अनुभव वाले संस्थानों में से एक, ने सरफीजी अधिनियम के तहत ज्ञापन जारी (नवम्बर 2004) किया था। न्यास ने सरफीजी अधिनियम के तहत सम्पतियों पर कब्जा लेने के लिए एआरसीआईएल को अपनी सहमति दी थी (जून 2005)। एआरसीआईएल ने निजी संधि के माध्यम से ₹ 9.20 करोड़ के लिए एएलएफ को परिसम्पतियाँ बेच दी थी (अगस्त 2007)। ₹ 5.15 करोड़ राशि का न्यास का समनुपातिक भाग फरवरी 2008 में प्राप्त किया गया था ₹ 1.28 करोड़ की अन्य वसूलियों को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में हानि ₹ 24.04 करोड़ थी।

(v) गुजरात सिपरोमेट लिमिटेड (एनएलओ ₹ 29.38 करोड़, वसूली ₹ 6.69 करोड़)

न्यास का समनुपातिक भाग ₹ 6.08 करोड़ था। ईकाई 2005 से बन्द पड़ी थी। कर्जधारक पर वैधानिक एवं अन्य देयताएँ थी। कर्जधारक बीआईएफआर की सीमा के तहत भी थी।

(vi) इन्दौर वायर कम्पनी लिमिटेड (एनएलओ ₹ 26.04 करोड़, वसूली ₹ 12.10 करोड़)

परिसम्पत्तियाँ सरफीजी अधिनियम के तहत ₹ 20 करोड़ में बेची गई थीं तथा न्यास का समनुपातिक भाग ₹ 11.80 करोड़ था।

(vii) बेनकी साल्यूशन प्रा. लिमिटेड (एनएलओ ₹ 5.07 करोड़, वसूली ₹ 3.66 करोड़)

न्यास के अनुसार, कम्पनी की शुद्ध सम्पति 2004 में पूर्ण रूप से खत्म हो गई थी। उपकरण पुराने हो गए थे तथा इनसे ज्यादा मूल्य नही मिलना था।

(viii) वीनस साइबरटेक लिमिटेड (एलएलओ ₹ 3.83 करोड़, वसूली ₹ 2.25 करोड़)

₹ 2.75 करोड़ के समनुपातिक भाग के प्रति, पार्टी द्वारा ₹ 2.25 का भुगतान किया गया था। ₹ 0.25 करोड़ की कम वसूली के लिए कारण रिकार्ड नही किये गए थे।

(ix) फोकल विजन इन्टरनेशनल लिमिटेड (एलएलओ ₹ 2.62 करोड़, वसूली ₹ 1.26 करोड़)

न्यास के अनुसार, कम्पनी का प्रदर्शन शुरूआत से ही संतोषजनक नही था। सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने अपनी प्राप्य राशियों की वसूली प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी क्योंकि संयंत्र तथा मशीनरी निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत माल (ईपीसीसी) योजना के तहत 5 प्रतिशत के छूट प्राप्त आयात शुल्क पर आयात किये गए थे जिसमें कम्पनी की अपनी निर्यात शर्त पूरी करनी थी। ईपीसीजी लाइसेंस समाप्त हो चुका था। बिक्री कर विभाग ने भी कम्पनी के बिक्री कर पंजीकरण के निरस्तीकरण हेतु ज्ञापन जारी किया था।

(x) केसर पैट्रोप्रॉडक्टस लिमिटेड (एनएलओ ₹ 1.37 करोड़, वसूली ₹ 1.12 करोड़)

न्यास के अनुसार, ईकाई बहुत वर्षों से बन्द पड़ी थी। आयोजकों के पास पर्याप्त निधि नही थी तथा मामला बीआईएफआर के तहत था। ₹ 1.37 करोड़ की एनएलओ की तुलना में ट्रस्ट ने ₹ 1.12 करोड़ वसूल किया जिसके कारण ₹ 25 लाख की हानि हुई।

21 मामलों में से 20 मामलों में (कृष्णा विनी लिमिटेड के मामले को छोड़कर) प्रमोटरों/उधारकर्ताओं से व्यक्तिगत गारंटियां ली गयी थी। हालांकि, ट्रस्ट के अभिलेखों में सम्पत्ति के कोई विवरण उपलब्ध नहीं थे। ट्रस्ट ने गारंटरों से आयकर रिटर्न्स भी नहीं लिया। यदि इन पहलुओं पर ध्यान दिया जाता तो ट्रस्ट वसूल की गयी राशि से अधिक धनराशि वसूल कर सकता था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि एसएएसएफ ने कुछ मामलों में नीति का उल्लंघन माना था। हालांकि, जबकि निपटान की मंजूरी दे दी गयी थी और धनराशि प्राप्त हो गयी थी, अब निपटान राशि में सुधार करने की गुंजाइश नहीं थी। मंत्रालय ने अपने उत्तर में यह आश्वासन दिया कि एसएएसएफ ने भविष्य में अनुपालन हेतु आपत्तियों को नोट कर लिया था।